तीस्ता (चरण-V) पावर स्टेशन (510 मेगावाट)
पर्यावरण संबंधी पहलुओं के संबंध में छमाही प्रगति रिपोर्ट

मार्च 2024 को समाप्त अवधि के लिए प्रगति रिपोर्ट

1	परियोजना का नाम	**तीस्ता (चरण-V) पावर स्टेशन (510 मेगावाट)**
2	परियोजना की किस्म	जल-विद्युत् परियोजना (रन आफ दि रिवर स्कीम)
3	स्वीकृति पत्र - कार्यालय ज्ञापन संख्या और तारीख क) पर्यावरण संबंधी स्वीकृति ख) वन संबंधी स्वीकृति	 क) सं. जे-12011/1/98-आईए-आई, दिनांक 19.05.1999 ख) एफ सं. 8-26/98-एफसी, दिनांक 14.05.1999
4	स्थान क) जिला (जिले) ख) राज्य ग) अक्षांश घ) देशांतर	 गंगटोक, नामची तथा मंगन सिक्किम 27^{0} 15’ 00’’ उ॰ 88^{0} 30’ 20’’ पू॰
5	पत्र-व्यवहार का पता : क) संबंधित परियोजना प्रमुख का पता (पिन कोड और टेलीफोन/ फैक्स नम्बर सहित) ख) निगम मुख्यालय में संबंधित विभागाध्यक्ष का पता (पिन कोड और टेलीफोन/फैक्स नम्बर सहित)	 **कार्यपालक निदेशक** तीस्ता-V पावर स्टेशन, बालूटार, सिक्किम-737134 **फोन:** 03592-247222 (कार्यालय) **कार्यपालक निदेशक (पर्यावरण एवं विविधता प्रबंधन),** एन.एच.पी.सी. लिमिटेड, एन.एच.पी.सी. कार्यालय परिसर, सेक्टर 33, फरीदाबाद (हरियाणा)-121003 **फोन:** 0129-2254674 (कार्यालय)
6	पर्यावरण प्रबंधन योजनाओं का विवरण	**अनुलग्नक-I** के अनुसार
7	परियोजना क्षेत्र का विवरण (भूमि का विवरण) क) जलमग्न क्षेत्र: (वन क्षेत्र और गैर-वन क्षेत्र)	वन भूमि : 147.333 हैक्टेअर गैर वन भूमि (निजी) : 171.672 हैक्टेअर * कुल भूमि : 319.005 हैक्टेअर 48.884 हैक्टेअर वन भूमि 18.866 हैक्टेअर गैर-वन भूमि 98.449 हैक्टेअर वन भूमि (जिसमें 25.16 हैक्टेअर भूमिगत

<table>
<tr><td></td><td>ख) अन्य</td><td>वन भूमि शामिल है) व 152.806 हैक्टेअर* गैर-वन भूमि।
(प्रारम्भ में 197.710 हैक्टेअर निजी भूमि अधिग्रहित की गई थी जिसमें से 26.038 हैक्टेअर भूमि सिक्किम सरकार को स्थानांतरित कर दी गई है)*</td></tr>
<tr><td>8</td><td>जिन लोगों ने केवल घर/निवास खोए हैं, केवल कृषि भूमि खोई है, निवास और कृषि भूमि, दोनों खोए हैं तथा भूमिहीन मजदूरों/ दस्तकारों की गणना सहित परियोजना से प्रभावित आबादी का विवरण

क) अनु.जा./अनु.ज.ज./आदिवासी
ख) अन्य</td><td><table><tr><td>घर और भूमि खोने वाले परिवारों की संख्या</td><td>62</td></tr><tr><td>केवल भूमि खोने वाले परिवारों की संख्या</td><td>199</td></tr><tr><td>कुल परियोजना प्रभावित परिवारों की संख्या</td><td>261</td></tr></table>(भूमि अधिग्रहण डेटा के आधार पर)

क) 26
ख) 36</td></tr>
<tr><td>9</td><td>वित्तीय ब्यौरा
क) परियोजना की लागत, जैसाकि आरम्भ में आयोजना की गई थी, और बाद के संशोधित अनुमान तथा मूल्य संदर्भ का वर्ष
ख) परियोजना पर अब तक हुआ वास्तविक खर्च

ग) पर्यावरण प्रबंधन योजनाओं के लिए किया गया आवंटन

घ) पर्यावरण प्रबंधन योजनाओं पर अब तक हुआ वास्तविक खर्च</td><td>₹ 2198.05 करोड़ (अप्रैल, 1999 मूल्य स्तर पर)

पूरा करने की लागत: ₹ 2656.95 करोड़ (अप्रैल, 2008 मूल्य स्तर पर)

(i) ₹ 4079.49 लाख रुपये (ईएमपी-डीपीआर)
(ii) ₹ 5479.23 लाख रुपये (ईएमपी – संशोधित बजट)

₹ 5,812.75 लाख रुपये (ब्यौरे के लिए **अनुलग्नक-II**)
(ईएमपी के लिए आवंटित समग्र धनराशि पूरी तरह से प्रयुक्त हो चुकी है और परियोजना मार्च 2008 से ही चालु है। इस प्रकार, व्यय के मद्देनज़र पिछली छः माही रिपोर्ट की तुलना में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।)</td></tr>
<tr><td>10</td><td>वन भूमि की आवश्यकताएं :
क) वन भूमि को गैर-वन भूमि के रूप में उपयोग के लिए अपवर्तन के अनुमोदन की स्थिति

ख) वन भूमि में पेड़ों की कटाई के संबंध में स्थिति</td><td>पर्यावरण, वन मंत्रालय तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने दिनांक 14.05.1999 के पत्र द्वारा 147.423 हैक्टेअर वन भूमि के अपवर्तन की मंजूरी दी थी जिसमें भूमिगत निर्माण-कार्यों के लिए 25.25 हैक्टेअर भूमि शामिल है। *(वास्तविक अपवर्तन 147.333 हैक्टेअर भूमि का किया गया जिसमें 25.16 हैक्टेअर भूमिगत कार्यों के लिए सम्मिलित है)*

2323 संख्या</td></tr>
<tr><td>11</td><td>निर्माण की स्थिति :
क) आरम्भ करने की तारीख (वास्तविक</td><td>
आरम्भ करने की तारीख : 11.02.2000 (मंत्रिमंडल की</td></tr>
</table>

	और / अथवा आयोजना की गई) ख) पूरा होने की तारीख (वास्तविक और / अथवा आयोजना की गई)	आर्थिक कार्य समिति की स्वीकृति की तारीख) वास्तविक : मार्च, 2008
12	विलम्ब के कारण, यदि परियोजना अभी आरम्भ की जानी है:	लागू नहीं
13	स्थल के दौरों का ब्यौरा : क) मानीटरिंग समिति द्वारा ख) क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा	दिनांक 15 जुलाई, 2010 को पावर स्टेशन में सम्पन्न हुई केन्द्र स्तरीय निगरानी समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया कि आगे किसी अन्य निगरानी की आवश्यकता नहीं है क्योंकि स्वीकृति की शर्तों का एनएचपीसी द्वारा अनुपालन कर लिया गया है । अंतिम केन्द्र स्तरीय निगरानी समिति की बैठक तीस्ता-V पावर स्टेशन में दिनांक 15.11.2017 को सम्पन्न हुई है ।
14	पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुपालन की स्थिति के संबंध में संक्षिप्त नोट	**अनुलग्नक- II** के रूप में संलग्न।

अनुलग्नक-I

तीस्ता-V पावर स्टेशन के लिए पर्यावरण प्रबंधन योजना का विवरण				
				(लाख रुपये में)
क्रम सं.	**पर्यावरण प्रबंधन योजना का नाम**	**डीपीआर में आवंटित राशि, अगस्त, 97 मूल्य स्तर पर**	**पुनर्विनियोजन / संशोधन के बाद धनराशि**	**31.03.2024 की स्थिति के अनुसार खर्च**
X – पर्यावरण और पारिस्थितिकी				
1	250 हैक्टयर क्षेत्र में क्षतिपूरक वनरोपण (निम्नीकृत वन)	111.10	111.10	111.10
2	हरित पट्टी* विकास	50.00	80.00	62.88
3	जलग्रहण क्षेत्र उपचार**	2350.00	3680.66	3680.43
4	खदान स्थलों का पुनरुद्धार***	25.00	25.00	---
5	लैंडस्केपिंग और सौंदर्यीकरण*	20.00	70.00	84.80
6	स्पॉइल टिप क्षेत्र का पुनरुद्धार	200.00	200.00	200.00
7	जलाशय रिम उपचार	200.00	200.00	212.51
8	राजसहायताप्राप्त ईंधन का वितरण#	110.00	14.66	---
9	वन्यजीव संरक्षण योजना**	55.00	124.42	124.42
10	जल से उत्पन्न होने वाले रोगों की रोकथाम और नियंत्रण	10.00	10.00	11.19
11	पर्यावरण के संबंध में अध्ययन	30.00	30.00	19.25
12	स्थानीय गांव को अपनाना*	35.00	50.00	50.79
पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा निर्धारित अतिरिक्त शर्तें				
13	बांध स्थल और सिंगताम के बीच भू-स्खलन को स्थिर करने की योजना	63.71	63.71	63.71
14	परियोजना क्षेत्र के चारो ओर के वन को सुरक्षित करने के लिए वनरोपण योजना	44.32	44.32	44.32
बी – भूमि				
15	पुनर्वास और पुनर्स्थापन	545.51	545.51	766.35
K – भवन, O – विविध और Q – विशेष औजार और प्लांट्स				
16	स्वास्थ्य प्रबंधन योजना	229.85	229.85	381.00
	कुल योग	**4079.49**	**5479.23**	**5812.75**
* रियायती निशुल्क ईंधन प्रावधान से धनराशि के पुनर्विनियोजन द्वारा कार्य की लागत में वृद्धि की गई है।				
** सिक्किम सरकार द्वारा श्रमिकों की मजदूरी में वृद्धि करने के कारण वृद्धि।				
*** रेत के लिए मात्र एक अनुमोदित खदान का उपयोग किया गया था जिसे राज्य सरकार को डाउनस्ट्रीम में अन्य डेवलपर को मलबा निपटान हेतु दे दिया गया था।				
# ठेके की शर्त के अनुसार, अपने कार्य-बल के लिए निशुल्क ईंधन की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी परियोजना के प्रमुख ठेकेदारों की है। तदनुसार, क्रम संख्या 8 पर उल्लिखित खर्च संबंधित ठेकेदारों द्वारा किया गया था।				

नोट: यह रिपोर्ट पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को भेजे गए अंग्रेजी के रिपोर्ट का हिंदी अनुवाद है। भावार्थ में कहीं भी संदेह की स्थिति में अंग्रेजी रिपोर्ट के अर्थ को ही अंतिम माना जाए।

अनुलग्नक-II

पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुपालन की स्थिति के संबंध में संक्षिप्त नोट

क्रम	भाग क: विशिष्ट शर्तें	अनुपालन:
i)	इस समय तीस्ता नदी में और इसके आसपास मच्छर का कोई प्रजनन नहीं हो रहा है क्योंकि नदी का प्रवाह काफी तेज है । परन्तु जब परियोजना आरम्भ हो जाएगी तब जल का एक बहुत बड़ा भाग हैड रेस सुरंग (18 किलोमीटर लम्बी) से गुजरेगा और इसलिए इस स्थान पर नदी का प्रवाह बहुत अधिक कम हो जाएगा जिससे मच्छरों का प्रजनन बढ़ सकता है । कुछ ऐसे मलेरिया रोगवाहक हैं जो धीमी गति से बहने वाली नदियों में प्रजनन कर सकते हैं । इस स्थिति को सुधारने के लिए दो संकल्पनाएं अपनाई जा सकती हैं । (क) जल के प्रवाह की दर 60 सेंमी/सेकंड से अधिक होनी चाहिए । (ख) नदी के इस भाग को उपयुक्त रूप से चैनलाइज किया जाना चाहिए ताकि कोई छोटे गड्ढे या पूडल न बन सकें । सावधानी बरतने के बाद भी, अप्रत्याशित स्थिति के कारण मच्छरों का प्रजनन और उसके परिणामस्वरूप मलेरिया या मच्छर से उत्पन्न होने वाले रोग बढ़ सकते हैं । यदि ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो यह परियोजना प्राधिकारियों की जिम्मेदारी होगी कि वे सभी सुधारात्मक उपाय करें अर्थात् परियोजना प्रभावित क्षेत्र और मच्छरों की उड़ान की रेंज को ध्यान में रखते हुए उसके आसपास के 3 किलोमीटर के क्षेत्र में अवशिष्ट कीटनाशी छिड़काव करें ।	पर्यावरणीय प्रवाह पर माननीय एनजीटी के आदेशों और सिक्किम राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एसपीसीबी) के आदेश संख्या एफ.नंबर 3007/एसपीसीबी 925 दिनांक 01.10.2022 के अनुपालन में, तीस्ता-V पावर स्टेशन द्वारा 15% न्यूनतम प्रवाह यानि 10.20 क्यूमेक डाउनस्ट्रीम में जारी किया जा रहा है । जलाशय में मच्छर के किसी प्रजनन से बचने के लिए प्रवाह की दर बनाए रखी जाती है ।
ii)	इसके अतिरिक्त, परियोजना प्राधिकारियों द्वारा उन सभी अभियन्ताओं के लिए एक प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित की जानी चाहिए जो इस परियोजना में तैनात किए जाएंगे । एक बार जब यह कार्यशाला आरम्भ हो जाएगी तब राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम विभाग इस प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के लिए संकाय मुहैया करने में मदद कर सकता है ।	परियोजना चिकित्सा विभाग, सिक्किम सरकार के राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम विभाग के समन्वय से मलेरिया नियंत्रण के लिए परियोजना निर्माण काल से ही समय-समय पर प्रशिक्षण कार्यशाला तथा अधिकारियों, स्टाफ, श्रमिकों और बच्चों के लिए जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन करता रहा है । मच्छर उन्मूलन के लिए परियोजना क्षेत्र में आवधिक फॉगिंग की जाती है।
iii)	निम्नीकृत जलग्रहण क्षेत्र के उपचार के लिए वर्षवार कार्य योजना यथा प्रस्तावित सख्ती से क्रियान्वित की जानी चाहिए:-	जलग्रहण क्षेत्र उपचार योजना (कैचमेंट एरिया ट्रीटमेंट) का क्रियान्वयन अनुमोदित कार्यक्रम के अनुसार पूरा कर लिया गया

<table>
<tr>
<td></td>
<td>
<table>
<tr><td>वर्ष</td><td colspan="2">वन भूमि (हैक्टेयर)</td><td colspan="2">कृषि भूमि (हैक्टेयर)</td><td>जोड़</td></tr>
<tr><td></td><td>जैविक</td><td>इंजी.</td><td>जैविक</td><td>इंजी.</td><td></td></tr>
<tr><td>पहला</td><td>550</td><td>300</td><td>-</td><td>100</td><td>950</td></tr>
<tr><td>दूसरा</td><td>450</td><td>250</td><td>-</td><td>100</td><td>800</td></tr>
<tr><td>तीसरा</td><td>1970</td><td>250</td><td>300</td><td>100</td><td>2620</td></tr>
<tr><td>चौथा</td><td>1770</td><td>250</td><td>300</td><td>100</td><td>2420</td></tr>
<tr><td>पांचवां</td><td>1960</td><td>100</td><td>300</td><td>100</td><td>2460</td></tr>
<tr><td>छठा</td><td>1760</td><td>-</td><td>300</td><td>-</td><td>2060</td></tr>
<tr><td>सातवां</td><td>1770</td><td>-</td><td>300</td><td>-</td><td>2070</td></tr>
<tr><td>आठवां</td><td>30</td><td>-</td><td></td><td>-</td><td>30</td></tr>
<tr><td>नौवां</td><td>70</td><td>-</td><td></td><td>-</td><td>70</td></tr>
<tr><td>दसवां</td><td>70</td><td>-</td><td></td><td>-</td><td>70</td></tr>
</table>
</td>
<td>है। तीस्ता-V परियोजना का मुक्त जल निकासी का कुल जलग्रहण क्षेत्र 43015 हैक्टेयर है जिसमें से कुल उपचारयोग्य क्षेत्र 14 उप-जलविभाजिकाओं में 11900 हैक्टेयर में फैला हुआ है । बाद में तीस्ता-V परियोजना के मुक्त जल निकासी जलग्रहण क्षेत्र में डिकचु खोला पर नई जल-विद्युत् परियोजना की योजना बनाने के कारण वन, पर्यावरण और वन्यजीव प्रबंधन विभाग, सिक्किम सरकार द्वारा तैयार की गई संशोधित जलग्रहण क्षेत्र उपचार योजना में तीस्ता-V परियोजना के लिए कुल उपचारयोग्य क्षेत्र घटकर 10710 हैक्टेयर रह गया था। सिक्किम सरकार द्वारा श्रमिकों की मजदूरी में वृद्धि करने के कारण जलग्रहण क्षेत्र उपचार कार्यों की लागत, जो मूलत: 2,420.44 लाख रुपये मंजूर की गई थी, बढ़कर 3,680.66 लाख रुपये हो गई । वन, पर्यावरण और वन्यजीव प्रबंधन विभाग, सिक्किम सरकार के माँग अनुसार अब तक 3,680.43 लाख रुपये का भुगतान किया जा चुका है एवं इस धनराशि का उपयोग किया जा चुका है ।</td>
</tr>
<tr>
<td>iv)</td>
<td>जैसाकि ई.आई.ए. रिपोर्ट में सूचित किया गया है, प्राणिजात सर्वेक्षण (फानल सर्वे) एक छोटी अवधि के लिए किया गया था। मात्र प्रजातियों की सूची तैयार करना अपर्याप्त है । जैवविविधता और जैवआवास पर प्रस्तावित विकास के प्रभाव की पूर्ण रूप से जांच की जानी चाहिए और तदनुसार उपचार का प्रस्ताव किया जाए। परियोजना प्राधिकारियों को मंत्रालय के अनुमोदन के लिए छह महीने के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करनी चाहिए । पूर्ण योजना प्रस्तुत की जानी चाहिए जिसमें वर्षवार कार्रवाई और वर्षवार धनराशि के आवंटन तथा प्रबंधन योजनाओं के कार्यान्वयन में शामिल की जाने वाली एजेंसियों का विवरण दिया गया हो ।</td>
<td>भारतीय वन्यजीव संस्थान, देहरादून द्वारा किए गए पारिस्थितिक मूल्यांकन अध्ययन में सिफारिशों के मद्देनजर, वन विभाग द्वारा संशोधित वन्यजीव प्रबंधन योजना तैयार किया गया था और इसे 76.35 लाख रुपये की लागत के साथ पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा दिनांक 05.11.2003 अनुमोदित किया गया था।
सिक्किम सरकार द्वारा श्रमिकों की मजदूरी में वृद्धि कर देने के कारण यह लागत बढ़कर 124.42 लाख रुपये हो गई एवं इसका पूरा भुगतान वन, पर्यावरण और वन्यजीव प्रबंधन विभाग, सिक्किम सरकार को कर दिया गया है । वन, पर्यावरण और वन्यजीव प्रबंधन विभाग से पत्र दिनांक 24.04.2012 द्वारा प्राप्त अंतिम उपयोगिता रिपोर्ट के अनुसार, रिलीज की गई 124.42 लाख रुपये की धनराशि का उत्तर सिक्किम ज़िले के अंतर्गत रंगरंग में एक तितली पार्क के निर्माण में पूर्णत: उपयोग कर लिया गया है ।</td>
</tr>
<tr>
<td>v)</td>
<td>परियोजना क्षेत्र में मौजूद तितलियों की प्रजातियाँ पारिस्थितिकी तन्त्र के अनुरक्षण में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकती हैं । जैवआवास और जैवविविधता से संबंधित अध्ययन रिपोर्ट में केवल तितलियों के संबंध में अलग से एक अध्याय रखा जाना चाहिए जिसमें तितलियों की प्रजातियों पर प्रस्तावित परियोजना के कारण पड़ने वाले प्रभावों और इन प्रजातियों तथा उनके आवास के संरक्षण के लिए प्रस्तावित प्रबंधन योजनाओं का उल्लेख किया गया हो ।</td>
<td>डब्ल्यू.आई.आई., देहरादून द्वारा तीस्ता-V जल-विद्युत् परियोजना के पारिस्थितिकी मूल्यांकन के एक भाग के रूप में परियोजना क्षेत्र में तितलियों के संबंध में विस्तृत अध्ययन किया गया था और उनके संरक्षण के लिए उपाय सुझाए गए थे। तदनुसार, वन्यजीव प्रबंधन योजना तैयार करते समय परियोजना क्षेत्र में तितली के स्थल बाह्य और स्थल अंतः संरक्षण को उचित महत्व दिया गया था ।
तितली पार्क निर्माण योजना के प्रथम चरण में आवास सुधार का कार्य, नर्सरी निर्माण एवं कुछ अधोसंरचनात्मक विकास कार्य जैसे कि उत्तरी सिक्किम में पगडंडी निर्माण, व्यू पॉइंट आदि का</td>
</tr>
</table>

		काम पूरा कर लिया गया है, जो बांध स्थल, दिक्चू से लगभग 10 किमी ऊपर की ओर है। इन कार्यों को 124.42 लाख रुपये की लागत से निष्पादित किया गया था।
vi)	मानवजाति अध्ययन रिपोर्ट तीन महीने के अन्दर अर्थात् 30 जून, 1999 तक प्रस्तुत कर दी जानी चाहिए।	मानवजाति अध्ययन पूरा कर लिया गया था और पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को 5 जुलाई, 1999 को रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गई थी।
vii)	बांध स्थल से बिजली घर स्थल तक नदी 23 किलोमीटर की दूरी तय करती है । विद्युत् के उत्पादन के लिए जल को विपथित करने के कारण इस दूरी पर नदी का प्रवाह कम हो जाएगा । जलीय पारिस्थितिकी पर कम जल के प्रभाव को जानने के लिए जलीय पारिस्थितिकी के संबंध में अध्ययन किया जाना चाहिए । इस संबंध में छह महीने के भीतर अर्थात् 31.07.1999 तक रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी जानी चाहिए।	• पशुपालन, पशुधन, मत्स्य पालन और पशु चिकित्सक सेवाएं विभाग सिक्किम सरकार को 84.27 लाख रुपये जारी किए गए। मछली फार्म का उद्घाटन 03.09.2012 को हुआ। • मत्स्य फार्म में हैचेरीज़ की क्रियाशीलता के विषय में 15.11.2017 को सम्पन्न हुई 10वीं केंद्र स्तरीय निगरानी समिति की बैठक में चर्चा हुई जिसमें संयुक्त निदेशक (मत्स्य), सिक्किम सरकार ने बताया कि मत्स्य फार्म में जलापूर्ति के कार्य के लिए धनराशि स्वीकृत हो गई है कार्य अप्रैल 2018 तक पूर्ण हो जाने का अनुमान है । उन्होंने यह भी बताया कि वे फार्म की हैचरीज़ को अगली वर्षा ऋतु तक क्रियाशील करने के लिए प्रयास कर रहे हैं । • यह विदित हुआ है कि निकटवर्ती जलस्रोत (रंगचंग खोला) से जल को मत्स्य फार्म तक लाने का कार्य अभी अप्रैल 2019 में पूर्ण हो गया है परंतु पोर्टेबल हैचरीज़ को क्रियाशील करने के लिए उनमें जल की पाइपों को जोड़ने का कार्य अभी प्रारम्भ नहीं हुआ है। • इस संबंध में निदेशक (मत्स्य पालन), सिक्किम सरकार ने मत्स्य निदेशालय के अन्य अधिकारियों के साथ 20.07.2021 को माखा मछली फार्म का संयुक्त निरीक्षण किया है। • मत्स्य निदेशालय द्वारा दिनांक 16.03.2022 को परियोजना पर एक बैठक आयोजित की गई जिसमें मत्स्य निदेशालय और एनएचपीसी के अधिकारियों द्वारा माखा मछली फार्म के विभिन्न घटकों के मरम्मत कार्यों पर चर्चा की गई। इसके अलावा, मत्स्य पालन निदेशालय और एनएचपीसी के अधिकारियों द्वारा दिनांक 05/04/2022 को माखा मछली फार्म का पुन: संयुक्त निरीक्षण किया गया और यह निर्णय लिया गया कि, मत्स्य निदेशालय द्वारा संशोधित प्रस्ताव एनएचपीसी को पुनः अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जाएगा। • एनएचपीसी राज्य सरकार में संबंधित प्राधिकारियों के साथ इस मामले का अनुसरण किया जा रहा है । • 4 अक्टूबर 2023 को तीस्ता नदी में अचानक आई बाढ़ के दौरान तीस्ता नदी बेसिन में भारी तबाही हुई । इसके कारण मौजूदा माखा मछली फार्म को भारी नुकसान पहुंचा है । इसकी कार्यक्षमता को बहाल करने के लिए मत्स्य विभाग के

<table>
<tr><td></td><td></td><td>साथ मामले को उठाया जा रहा है ।</td></tr>
<tr><td>viii)</td><td>श्रमिकों के शिविर संरक्षित/निर्धारित क्षेत्रों में स्थित नहीं होने चाहिएं ।</td><td>अनुपालन किया गया।</td></tr>
<tr><td>ix)</td><td>परियोजना के पूरा हो जाने के बाद, निर्माण एजेंसियों द्वारा बाहर से लाए गए कामगारों को बाहर भेज दिया जाना चाहिए और उन्हें सिक्किम में किसी भी स्थान पर बसने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए ।</td><td>अनुपालन किया गया।</td></tr>
<tr><td>x)</td><td>अधिक से अधिक स्थानीय लोगों को न केवल अकुशल श्रेणी में बल्कि चुनिंदा स्थानीय लोगों को प्रशिक्षण के माध्यम से कुशल बनाने के लिए प्रावधान करके अर्द्धकुशल और कुशल श्रेणियों में भी रोजगार देने के पूरे प्रयास किए जाने चाहिएं। इसका उद्देश्य विकासात्मक गतिविधियों में स्थानीय लोगों को जोड़ना है। इस संबंध में विस्तृत योजनाएं भेजी जानी हैं ।</td><td>निर्माण चरण के दौरान स्थानीय लोगों को रोजगार उपलब्ध कराकर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित करने के गंभीर प्रयास किए गए और इसके परिणामस्वरूप निर्माण चरण के दौरान अकुशल, अर्ध कुशल और कुशल-श्रेणी में बड़े और छोटे ठेकेदारों के साथ कई स्थानीय लोगों को रोजगार मिला। परियोजना के शुरू होने के बाद भी, कई स्थानीय लोगों को विभिन्न चल रहे और रखरखाव सेवा प्रदाताओं के साथ रोजगार मिल रहा है। ठेकेदार के माध्यम से नियोजितनियुक्त स्थानीय / लोगों की संख्या विवरण निम्नानुसार हैं:

<table>
<tr><td>1</td><td>पुनर्वास और पुनर्स्थापन योजना के अधीन नियमित रोजगार</td><td>59</td></tr>
<tr><td>2</td><td>अन्य संवर्गों में नियमित रोजगार</td><td>11</td></tr>
<tr><td>3</td><td>परियोजना की सुरक्षा के लिए भारतीय रिजर्व बटालियन में काम पर लगाना</td><td>96</td></tr>
<tr><td>4</td><td>होम गार्ड के रूप में काम पर लगाना</td><td>30</td></tr>
<tr><td>5</td><td>लघु निर्माण-कार्यों में लगाए गए स्थानीय लोगों की संख्या</td><td>437</td></tr>
<tr><td>6</td><td>किराये पर लिए गए वाहनों के लिए ड्राइवर के रूप में लगाए गए स्थानीय लोग</td><td>40</td></tr>
<tr><td></td><td>कुल रोजगार</td><td>673</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>xi)</td><td>इस परियोजना के कारण 204 परिवार प्रभावित होंगे। इनमें से 72 परिवार पूर्ण रूप से (भूमि और घर, दोनों) और 132 परिवार आंशिक रूप से (केवल भूमि) प्रभावित होंगे । प्रभावित परिवारों को खामडोंग ब्लाक के निचले सामडोंग और दूधेधारा में पुन: बसाया जाएगा। पुनर्वास और पुस्थापन पैकेज के लिए बजट में 545.51 लाख रुपये (पुनर्वास भूमि की लागत 99.51 लाख रुपये) रखे गए हैं । यथा प्रस्तावित पैकेज पूर्णतया क्रियान्वित किया जाना चाहिए ।</td><td>• परियोजना द्वारा कुल पूरी तरह से प्रभावित परिवारों को 62 नौकरी की पेशकश की गई थी, हालांकि केवल व्यक्तियों 59 ने नौकरी स्वीकार की और नौकरी में शामिल हुए।
• खामडोंग में पुनर्वास और पुनर्वास कॉलोनी में विस्थापित परिवारों को प्लॉट आवंटित किया गया था।
• शेष 199 आंशिक प्रभावित परिवारों (जमीन का कुछ हिस्सा जाना), उन्हें जिले के भूमि अधिग्रहण अधिकारी के माध्यम से उनकी भूमि और संपत्ति के लिए मुआवजा दिया गया था।
• इस मद में कुल 766.35 लाख का व्यय किया गया।</td></tr>
</table>

xii)	जब तक कैंरिंग कैपेसिटी के संबंध में अध्ययन पूरा नहीं हो जाता है तब तक पर्यावरण संबंधी स्वीकृति के लिए सिक्किम में किसी अन्य परियोजना पर विचार नहीं किया जाएगा।	सी.आई.एस.एम.एच.ई., दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा कैरिंग कैपेसिटी का अध्ययन पूरा कर लिया गया है और अन्तिम रिपोर्ट पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा दिसम्बर 2007 में स्वीकृत की गई है।
xiii)	निर्धारित क्षतिपूरक वनरोपण के अलावा, अतिरक्त 10 हैक्टेयर क्षेत्र में भी वनरोपण किया जाना चाहिए। राज्य के वन विभाग की सलाह से क्षेत्र की पहचान की जानी चाहिए। इस प्रयोजन के लिए अपेक्षित धनराशि को परियोजना के बजट में दिखाया जाना चाहिए। परियोजना की 1% लागत क्षेत्र के पारिस्थितिकी संरक्षण पर खर्च की जाए जिसके लिए तीन मास के भीतर मंत्रालय को योजनाएं प्रस्तुत की जाएं।	पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र संख्या जे-12011/1/98-आई ए-1 दिनांक 07.12.1999 द्वारा यह शर्त वापस ले ली गई थी।
	भाग ख. सामान्य शर्तें	
i)	निर्माण-कार्य में लगे श्रमिकों को परियोजना लागत पर पर्याप्त निशुल्क ईंधन की व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि पेड़ों की अवैध कटाई को रोका जा सके।	अनुपालन किया गया।
ii)	ईंधन (मिट्टी का तेल/लकड़ी) मुहैया करने लिए स्थल पर ईंधन डिपो खोला जाए। श्रमिकों को चिकित्सा सुविधाएं ओर मनोरंजन सुविधाएं भी दी जानी चाहिए।	अनुपालन किया गया। एनएचपीसी के पास पावरहाउस साइट पर 25 बिस्तरों वाला एक अस्पताल और बांध स्थल पर एक डिस्पेंसरी है। इसके अलावा, सामडोंग कॉलोनी में एक चालू प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है। बालूटार में परियोजना अस्पताल द्वारा विभिन्न चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार किया गया है, जैसे ओपीडी सुविधाएं, परियोजना अस्पताल के पर्चे के अनुसार दवा वितरण, टीकाकरण योजना, पल्स पोलियो आदि। भारत सरकार के प्रजनन और बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत परियोजना अस्पताल को केंद्र के रूप में मान्यता दी गई है। यह संशोधित राष्ट्रीय टीबी नियंत्रण कार्यक्रम (RNTCP) कार्यक्रम सरकार के तहत तपेदिक माइक्रोस्कोपी केंद्र के रूप में भी नामित है। रक्त, मूत्र और मल की नियमित पैथोलॉजिकल जांच के लिए प्रयोगशाला, फिजियोथेरेपी केंद्र, एक्स-रे और ईसीजी सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। 2000-01 से मार्च 2024 तक परियोजना की स्थापना के बाद से कुल 4,36,945 स्थानीय मरीजों ने एनएचपीसी की स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाया है **(अनुलग्नक III)**। परियोजना के आसपास के गांवों में साल भर नियमित आधार पर छोटे और बड़े चिकित्सा सह जागरूकता शिविर आयोजित किए जाते रहे हैं। इन शिविरों के दौरान नि:शुल्क परामर्श प्रदान किया जाता है और ग्रामीणों को नि:शुल्क दवाइयां भी वितरित की जाती हैं। 4 अक्टूबर 2023 को आई आकस्मिक बाढ़ के बाद अक्टूबर और

		नवंबर 2023 के महीने में संकट की घड़ी के दौरान, इलाके में बाढ़ प्रभावित लोगों के लाभ के लिए चिकित्सा शिविर आयोजित किए गए। **मनोरंजन सुविधाएं:** कॉलोनी क्षेत्र में मनोरंजन सुविधाओं का विकास किया गया है, जो मजदूरों सहित सभी के लिए खुला है। विद्युत गृह स्थल के दाहिने किनारे पर एक चिल्ड्रेनकम्हर्बल - पार्क तथा बायें किनारे पर एक अन्य चिल्ड्रेन पार्क विकसित किया गयाहै। ये सुविधाएं सभी के लिए उपलब्ध हैं।
iii)	निर्माण-कार्यों में लगाए जाने वाले सभी श्रमिकों की स्वास्थ्य कार्मिकों द्वारा पूरी तरह से जांच की जानी चाहिए और उन्हें कार्य करने की अनुमति देने से पहले उनका पर्याप्त रूप से उपचार किया जाना चाहिए।	अनुपालन किया गया।
iv)	बांध स्थल और इनटेक सुरंग, प्रवेश मार्ग और बिजली घर स्थल पर खोदी गई सामग्रियों के फैंकने के स्थल को समतल बनाकर, गड्ढों को भरकर और लैंडस्केपिंग आदि के द्वारा निर्माण क्षेत्र का पुनरुद्धार सुनिश्चित किया जाना चाहिए। इस क्षेत्र में उपयुक्त रोपण द्वारा वनरोपण किया जाना चाहिए।	पूरी तरह से अनुपालन किया गया. इसके अलावा, डंपिंग साइटों सहित निर्माण क्षेत्रों का जीर्णोद्धार और सुधार कार्य उचित जैविक और इंजीनियरिंग उपायों के माध्यम से और स्थानीय लोगों की स्थिति और मांग के अनुसार हरित पट्टी, खेल के मैदान और पार्क के विकास द्वारा पूरा किया गया। *4 अक्टूबर 2023 को तीस्ता नदी में अचानक बाढ़ आने के बाद, बांध और पावर हाउस के विभिन्न घटकों को भारी नुकसान हुआ। वर्तमान में, पावर स्टेशन पर गाद हटाने की गतिविधियाँ बहाली गतिविधियों के हिस्से के रूप में चल रही हैं और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सिक्किम से अनुमति प्राप्त करने के बाद पुराने/मौजूदा स्वीकृत डंपिंग यार्ड को डंपिंग गतिविधियों के लिए फिर से इस्तेमाल किया जा रहा है।*
v)	बांध के अनुप्रवाह में बाढ़ जोनिंग की संकल्पना की जानी चाहिए। बाढ़-क्षेत्र में किसी को बसने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।	चूंकि यह मुद्दा राज्य सरकार से संबन्धित था, अतएव संबंधित जिला प्राधिकारियों को इस शर्त के बारे में सूचित कर दिया गया था।
vi)	सुझाए गए रक्षापायों के कारगर कार्यान्वयन का निरीक्षण करने के लिए विभिन्न विधाओं से प्रतिनिधियों को शामिल करके एक बहुविधा समिति गठित की जानी चाहिए।	शर्तों के अनुपालन में, पीसीसीएफ-सह-सचिव द्वारा अधिसूचना दिनांक 16.11.2000 द्वारा एक समिति गठित की गई थी। 2001-2010 के दौरान कुल नौ बैठकें हुईं। हालांकि, 15.07.2010 को हुई केंद्रीय स्तर की निगरानी समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि आगे नियमित निगरानी समिति की बैठकों की आवश्यकता नहीं है क्योंकि निकासी की शर्तों का पहले ही अनुपालन किया जा चुका है।
vii)	मंत्रालय और इसके क्षेत्रीय कार्यालय को समीक्षा करने के लिए छमाही मानीटरिंग रिपोर्टें प्रस्तुत की जानी चाहिए।	MoEF&CC की आवश्यकता के अनुसार, छह-मासिक प्रगति रिपोर्ट समयबद्ध तरीके से प्रस्तुत की जा रही हैं।